फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री गमेरा कीर
विपक्षी :– श्री मदनलाल कीर
किस्म मुकदमा :– 212 R.T.A.
पत्रावली संख्या :– 58/09 (प्रार्थना पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 04.03.2020 – पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त कृषि आराजियात का सहखातेदारान के बीच मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन नही हुआ है। इस कारण किसी भी सह खातेदार को मौके पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराने का अधिकार नही है तथा न ही वादग्रस्त आराजीयात की भौतिक स्थिति को परिवर्तन करने का अधिकार है। इसके बावजूद विपक्षी मौके पर मारोमार कारतामीर कर निर्माण कार्य करवा रहा है तथा उसने नीवे खुदवा कर सिमेन्ट पत्थरो से दिवारे बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस पर जब प्रार्थी ने विपक्षी को कहा कि खाता विभाजन का वाद विचाराधीन है एवं जब तक वाद का निर्णय नही हो जाता है तब तक उसे किसी प्रकार का निर्माण कार्य करवाने का अधिकार नही है तो इस पर विपक्षी झगड़ा करने पर उतारू हुआ व उसने धमकी दी कि वो अपनी ईच्छानुसार निर्माण कार्य करायेगा, अपनी ईच्छानुसार रकबे पर कब्जा करेगा, प्रार्थी की ईच्छा हो सो करता रहे, आदि। यदि विपक्षी ने अपनी ईच्छानुसार निर्माण कार्य करवा लिया तो विभाजन के वाद का उद्देश्य ही समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थी को अशोधनीय हानि होगी जबकि प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त कृषि आराजियात, जो मुझ विपक्षी के हिस्से मे रखी गई थी, उसके चौतरफा बाउण्ड्रीवाल बनाई जाकर फाटक लगा रखी है तथा मुझ विपक्षी के हिस्से की भूमि पर मकान बना हुआ होकर ट्युबवेल खुदवा रखी है जिससे स्पष्ट है कि बाउण्डरीवाल बनी जायदाद मुझ विपक्षी के आधिपत्य की होकर मेरे स्वामित्व एवं भुगतभोग मे चली आ रही है। प्रार्थी को कोई अशोधनीय हानि नही होने वाली है। साथ ही अन्य	

सहखातेदारान को पक्षकार बनाये बिना यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य भी नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षो के अधिवक्तागण की बहस तथा प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के लिए भू–अभिलेख निरिक्षक व हल्का पटवारी को कमिश्नर नियुक्त कर मौके की वास्तविक भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई गई थी। रिपोर्ट का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौके पर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य जारी था। इससे स्पष्ट है कि बिना बंटवाड़ा करवाए वादग्रस्त आराजीयात पर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसे कि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा रूकवाया गया था। लेकिन निर्माण कार्य प्रार्थी के द्वारा किया जा रहा है या विपक्षी के द्वारा, यह रिपोर्ट में स्पष्ट नही है। इस कारण यदि मौके पर किसी भी पक्ष द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया तो उससे मौके पर विवाद अधिक बढने की संभावना है। साथ ही प्रस्तुत वाद केवल मात्र धारा 53 के तहत पेश किया गया है, जिससे सहखातेदारो के मध्य वादग्रस्त कृषि आराजियात का केवल विभाजन ही होना है। अतः ऐसे में यदि मूल वाद के निर्णय तक उभय पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया जाता है तो उससे किसी भी पक्ष को कोई हानि नही होनी है, साथ ही नये विवाद को, नये मुकदमेबाजी को भी रोका जा सकेगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षो को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा सराय पटवार हल्का करणपुर भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 में वादग्रस्त आराजी नम्बर 32 व 33 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि की इस न्यायालय के आदेश से तैयार की गई दिनांक 13.04.2009 की कमिश्नरी रिर्पोट में वर्णित मौका स्थिति के अनुरूप मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।

निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2020.04.09 18:05:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: